न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री सुनील आर्य, आर. ए. एस.

अपील संख्याः— 23/2015 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :— 2015/00107

उनवान

द्वारिका पुत्र हरपाल जाति मीना निवासी ग्राम भिरामद तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर।
.........................अपीलांट।

बनाम

1. मु0 पहलबाई पत्नी रामजीलाल जाति मीना निवासी ग्राम लेडियापुरा तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर।
.... असल रेस्पोंडेंट।

2. हन्सूराम
3. पप्पू
4. केशूराम
} पुत्रगण द्वारिका जाति मीना निवासी भिरामद तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरमथुरा ।

.... तरतीवी रेस्पोंडेंट।

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरमथुरा दिनांक 08.07.2015 मि.नं. 18/13 उनवानी पहलबाई बनाम द्वारिका।

अभिभाषकगण :—

1. श्री जानकी प्रसाद वकील अपीलांट उपस्थित।
2. रैस्पो0 अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक—23.12.2024

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरमथुरा के निर्णय व डिक्री दिनांक 08.07.2015 के विरूद्ध पेश की गयी है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/असल रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादीगण/अपीलाण्ट व तरतीवी रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी का वादी असल रैस्पो0 खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी है। प्रतिवादी अपीलाण्ट का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार किसी भी प्रकार का

भू प्रवन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

नहीं है एवं ना ही कब्जा काश्त है। परन्तु प्रतिवादी अपीलाण्ट व तरतीवी रैस्पो0 जवरन ताकत के बल पर विवादित आराजी को वादी असल रैस्पो0 से हडपना चाहते हैं। यदि वह अपनी मंशा में कामयाब हो गये तो वादी असल रैस्पो0 को अपरमित क्षति होगी। अतः वाद प्रस्तुत कर प्रतिवादी अपीलाण्ट व तरतीवी रैस्पो0 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, वाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। रैस्पो0 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए बहस में तर्क प्रस्तुत किए कि अपीलाधीन आदेश व डिक्री कानून व रिकार्ड के खिलाफ है व काविल निरस्तनीय हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश लोक अदालत में अपीलाण्ट को विना सुने पारित किया है, जों प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को लोक अदालत में प्रकरण रखने की कोई सूचना नहीं दी गयी। लोक अदालत में केवल राजीनामा से ही प्रकरण का निस्तारण किया जा सकता है। परन्तु प्रकरण में पक्षकारान की कोई सहमति/राजीनाम ही नहीं हुआ। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि वादी सिद्ध करे विवादित भूमि पर :–

(अ) उसका स्वत्व है।
(ब) उसका कब्जा है।
(स) उसके कब्जे को चुनौती दी गई है, प्रतिवादी उसे बेदखल करने के प्रयास में हैं।

प्रस्तुत अपीलाधीन वाद में उपरोक्त तीन घटको को वादी असल रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में सावित किया है। वादी असल रैस्पो0 विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं। जिसके खण्डन में प्रतिवादी अपीलाण्ट की ओर से कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विवादित आराजी पर कब्जे की रिपोर्ट भी ली गयी है। मौका रिपोर्ट दिनांक 08.06.2015 अनुसार विवादित आराजी पर प्रतिवादी रैस्पो0 पहलवाई का मौके पर काबिज होना अंकित है। राजस्व रिकार्ड में भी प्रतिवादी असल रैस्पो0 अन्य सहखातेदारो के साथ विवादित आराजी पर रिकार्डेड खातेदार काश्तकार अंकित है। अतः एक रिकार्डेड खातेदार के पक्ष में ही विवादित

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

आराजी पर कब्जे की अवधारणा मानी जावेगी। जहॉ तक अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का मौका नहीं मिलने का प्रश्न है। अपीलाण्ट के अभिभाषक न्यायालय में उपस्थित रहे हैं एवं उनके द्वारा जवाब व काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि अधीनस्थ न्यायालय ने उन्हें सुनवाई का मौका नहीं दिया। उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय ने उचित रूप से प्रतिवादी अपीलाण्ट को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया है। जिसमें हम हमारे हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरमथुरा के निर्णय व डिक्री दिनांक 08.07.2015 यथावत रखें जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 23.12.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील आर्य)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर